



नाइसेन्स नं० ४३७०/२१ए-२८

नाइसेन्स नं० पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, मंगलवार, 28 अक्टूबर, 2006 ई० (कार्तिक 6, 1928 शक संवत्)

भाग 3

सहायक शासन विभाग का सौ०-यम, खण्ड-क--मगरपालिका परिषद, खण्ड-ख--नगर पंचायत; खण्ड-ग--निवासी (स्वामीय निकाय) तथा खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड-घ--जिला पंचायत

18 सितम्बर, 2006 ई०

सं० 4370/21ए-28(2003-04)--इस विषय पर अधिनियम की धारा 239 के अन्तर्गत जिला पंचायत, सीतापुर ने पूर्व में बनाये उपनियमों की धारा में निम्नानुसार संशोधन किये हैं, की पुष्टि आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने की है; इस विज्ञप्ति द्वारा अधिनियम की धारा 242 (2) के प्रयोजनों के लिए प्रकाशित किए जाते हैं--

(1) पशु पंठ/पशु बाजार उपनियम--

क्रमांक	उपनियम के भाग-2 की धारा-14 में	चालू लाइसेन्स शुल्क	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क
1	2	रु०	रु०
	पशु मेला, पशु बाजार, पशुपंठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिए निम्नांकित लाइसेन्स शुल्क देय होगा--		
1	वर्ष में एक बार एक दिन से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाइसेन्स शुल्क	5,000.00	7,500.00
2	वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाइसेन्स शुल्क	10,000.00	15,000.00

काय अधिकारी
जिला पंचायत सीतापुर

1	2	3
	₹	₹
		22,500.00
3--वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक के लिए लगातार लगने वाले पशु मेला का लाइसेन्स शुल्क	15,000.00	
4--सप्ताह में दो या दो से अधिक बार लगने वाले पशु पैंठ या पशु बाजार का लाइसेन्स शुल्क	4,000.00	5,000.00
5--सप्ताह में एक बार लगने वाले पशु बाजार, पशु पैंठ का लाइसेन्स शुल्क	2,000.00	2,500.00
6--वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	2,000.00	2,500.00
7--वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाले प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	4,000.00	5,000.00

उपरोक्त पर उद्देश्य एवं उद्देश्य शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

	चालू शुल्क ₹	प्रस्तावित शुल्क ₹
1--मेटाडोर या छोटा ट्रक खाली	05.00	08.00
2--बड़ा ट्रक खाली	10.00	15.00
3--छोटा ट्रक जिसमें पशु लदे हों (मेटाडोर)	125.00	150.00
4--बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदे हों	150.00	200.00
5--सामान भरी हुई/बैलगाड़ी या खड़खड़ा	05.00	08.00
6--खाली बैलगाड़ी या खड़खड़ा	02.00	05.00
7--सामान भरा ट्रैक्टर-ट्राली, मेटाडोर तथा छोटा ट्रक	25.00	50.00
8--सामान भरा हुआ छोटा ट्रक उपरि उक्त भाग-5 की धारा-5 में पशु मेला, पशुबाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा—		
1--गाय का बछड़ा, भैंस का पड़वा; पड़िया या घोड़ी का बच्चा जिसकी आयु एक वर्ष तक	01.00	02.00
2--बकरा, बकरी एवं भेड़	02.00	03.00
3--गाय, बैल, भैंसा, घोड़ा, घोड़ी	02.00	03.00
4--ऊँट एवं हाथी	05.00	08.00

कार्य अधिकारी
शिला पंचायत सीतापुर

प्रचलित दण्ड

संशोधित दण्ड

यदि प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधो अपराध करता है, पचास (50.00) रु० प्रति दिन तक हो सकेगा अथवा अर्ध दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन मास तक होगा।

(4) आटा चक्कियों से भिन्न मिलों कारखानों की फैक्ट्रियों की उपविधियाँ--

प्रचलित उपनियम

संशोधित उपनियम

आटा चक्कियों से भिन्न मिलों कारखानों तथा फैक्ट्रियों के लिए निम्नवत् शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स जारी किये जायेंगे :

आटा चक्कियों से भिन्न मिलों कारखानों तथा फैक्ट्रियों के लिए निम्नवत् शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स जारी किये जायेंगे :

	रु०	रु०
[अ] 1-10 अश्व शक्ति पर	500.00	750.00
[ब] 11-50 अश्व शक्ति पर	750.00	1,500.00
[स] 51-100 अश्व शक्ति पर	1,000.00	5,000.00
[द] 101-150 अश्व शक्ति पर	2,000.00	10,000.00
		पर
[म] 151 से अधिक पर	5,000.00	

	प्रचलित दरें	संशोधित दरें
	रु०	रु०
1--तेल मिल		10,000.00
2--फ्लोर मिल	..	10,000.00
3--राइस मिल	..	10,000.00
4--गुमर मिल	..	10,000.00
5--दरी फैक्ट्री	..	10,000.00
6--दरी उद्योग	..	5,000.00
7--सोप फैक्ट्री	..	2,000.00
8--पेपर फैक्ट्री/मिल	..	10,000.00
9--प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री	..	5,000.00
10--स्टील फैक्ट्री	..	10,000.00
11--हथकरघा उद्योग प्रति यूनिट	..	100.00
12--सूत उद्योग कम होल सेल व्यवसायी	..	5,000.00
13--पालेशर	500.00	1,000.00

काय अधिकारी
जिला पंचायत सीतापुर

	प्रचलित दरें रु०	संशोधित दरें रु०
14--कोल्ड स्टोर	..	10,000.00
15--उपरोक्त से भिन्न कारखाना मिल आदि निम्न अश्व शक्ति के अनुपात निम्न शुल्क देय होगा--		
(क) 30 अश्व शक्ति या उसके ऊपर	..	10,000.00
(ख) 20 अश्व शक्ति से 29 अश्व शक्ति तक	..	5,000.00
(ग) 10 अश्व शक्ति से 19 अश्व शक्ति तक	..	1,500.00
(घ) 10 अश्व शक्ति से कम	..	500.00
16--आटा चक्की	100.00	200.00
17--स्पेलर	100.00	150.00
18--रूई मशीन	100.00	150.00
19--वान यंत्र	100.00	150.00

नोट--उपरोक्त क्रम संख्या 16 से 19 तक का लाइसेंस शुल्क एक साथ जमा करने पर दूसरी तिथि के शुल्क पर 10 प्रतिशत की छूट होगी।

(5) नवोदय व्यवसाय उद्योगों के लिए--

प्रचलित धारा-8

व्यवसाय कर्ता को निम्न शुल्क जमा करना होगा :

व्यवसाय

- 1--कपड़ा, परचून आदि सम्मिलित दुकानें
- 2--(1) केवल परचून या कपड़े को दुकानों के लिए स्थाई दुकानों पर
- (2) फेरों वालों को
- 3--गल्ले को बड़े दुकानों या व्यापारों जिनके पास 10 कुं० या इससे अधिक हों
- 4--गल्ले को छोटे दुकानों या व्यापारों जिनके पास 10 कुं० से कम हों
- 5--(1) सोना चाँदा के आभूषण बनाने तथा विक्री वाली दुकानों पर
- (2) आभूषण मरम्मत कार्य करने वालों पर
- 6--पड़वाई या तुलाई करने वाले पर
- 7--मेडिकल स्टोर या दवा को दुकानों पर
- 8--केवल हलवाईगरी
- (1) हॉटल/बाबा
- 9--पुस्तक या कापी को दुकानों पर

प्रस्तावित संशोधन धारा-8

व्यवसाय कर्ता को निम्न शुल्क जमा करना होगा :

शुल्क

रु०

प्रस्तावित शुल्क

रु०

- | | |
|--------|--------|
| 200.00 | 250.00 |
| 100.00 | 125.00 |
| 30.00 | 50.00 |
| 400.00 | 500.00 |
| 75.00 | 125.00 |
| 200.00 | 500.00 |
| 50.00 | 100.00 |
| 50.00 | 100.00 |
| 100.00 | 250.00 |
| 50.00 | 100.00 |
| 200.00 | 500.00 |
| 25.00 | 50.00 |

काय अधिकारी
जिला पंचायत सीतापुर

व्यवसाय	चालू शुल्क ₹0	प्रस्तावित शुल्क ₹0
10--लोहे, एलपोलियम के वर्तन औजार आदि की दुकाने जिसमें सामान 25,000.00 से कम हो	100.00	पूची के क्रम संख्या 59 के अनुसार देय।
11--लोहे के सामान सिरिया, ऐंगिल आदि की दुकानों पर जिसमें सामान ₹0 25,000.00 से अधिक हो	200.00	पूची के क्रम संख्या 59 के अनुसार देय।
12--वेवल चाय की दुकान पर	25.00	50.00
(1) चाट बचने वालों पर	50.00	50.00
13--वेवल पान की दुकान पर	30.00	50.00
14--शरबत, लस्सी या मोटा वाटर की दुकान पर	25.00	50.00
(1) दूध बचने वाले पर	30.00	50.00
(2) दूध से क्रीम निकालने वाले मशीन पर	100.00	200.00
15--घी (डालडा) की दुकान पर	100.00	200.00
16--लकड़ी की आरा मशीन सजित दुकान पर	400.00	1000.00
17--बिना आरा मशीन के लकड़े की दुकान पर	50.00	100.00
18--ईंधन जलाने हेतु कोयले की दुकान पर	50.00	100.00
19--ईंधन जलाने हेतु लकड़ी की दुकान पर	50.00	75.00
20--फेरी की दुकान पर	30.00	50.00
21--कई छोटी-छोटी वस्तुओं की सम्मिलित दुकान पर	50.00	75.00
22--बारबर (नाई) की दुकान पर	25.00	50.00
23--बतंत की दुकान पर	100.00	150.00
24--ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दिन या इससे अधिक लगने वाले रेलों में जो व्यक्त कोई व्यवसाय करेगा और जिसके पास पूर्व में जिला पंचायत से व्यवसाय का लाइसेंस न होगा जिला पंचायत का लाइसेंस शुल्क देना होगा	50.00	100.00
25--कपड़ा धोने वाली दुकान पर (मशीन द्वारा)	100.00	500.00
26--लाटरी टिकट बचने वाली दुकान पर	25.00	50.00
27--कृषि सम्बन्धी मशीनरी मोटर/ पाट्स की दुकान पर	250.00	300.00
28--नई साइकिल की दुकान पर	150.00	200.00
(1) साइकिल मरम्मत की दुकान पर	25.00	50.00
29--मशीनरी ट्रैक्टर आदि की दुकान पर	50.00	200.00
30--मोबिल, डीजल की दुकान पर	250.00	300.00
(1) पेट्रोल या डीजल पम्प व्यवसाय पर	500.00	5000.00
(2) पेट्रोल या डीजल पम्प दोनों व्यवसाय पर	1000.00	10,000.00
31--जूते की दुकान पर	50.00	100.00


कार्य अधिकारी

जिला पंचायत सीतापुर

व्यवसाय	चालू शुल्क रु०	प्रस्तावित शुल्क रु०
32--(1) रासायनिक खाद की दुकान पर	150.00	200.00
(2) बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर जैसे मोरंग, बालू, पट्टा, बल्ली आदि	100.00	200.00
(3) सीमेंट की दुकान पर	200.00	500.00
33--मरकूप बोरिंग, हैण्डपम्प की दुकान पर	100.00	125.00
34--प्रोविजन स्टोर	100.00	200.00
35--हकीम, बंध, डाक्टर की दुकान पर	100.00	200.00
36--मिट्टी विकनाई टायर, ट्यूब, मोटर साइकिल, स्कूटर पार्ट्स की दुकान पर	100.00	500.00
37--बपड़ा घोने की दुकान पर	50.00	75.00
38--सिलाई की दुकान पर प्रति सिलाई मशीन	20.00	50.00
39--मोटर साइकिल इनलप पहियों आदि की मरम्मत की दुकान पर	100.00	125.00
40--फल अथवा सब्जी की दुकान	50.00	50.00
41--फोटोग्राफी, तस्वीर बचने की दुकान पर	50.00	200.00
42--शक्कर की दुकान पर (नियंत्रित)	50.00	500.00
43--आतिशबाजी की दुकान पर	25.00	50.00
✓ 44--शराब की दुकान पर	500.00	2,000.00
45--भांग की दुकान पर	50.00	100.00
46--कृषि यन्त्रों की दुकान पर	100.00	200.00
47--सावुन बनाने का कारखाना	200.00	250.00
48--वर्ष या आईसक्रीम फैक्ट्री	200.00	250.00
49--गैस या इलेक्ट्रिक बिल्डिंग की दुकान पर	100.00	125.00
50--बिजली मोटर आदि की मरम्मत की दुकान पर	100.00	150.00
51--फर्नीचर, इमारती लकड़ी की दुकान पर	100.00	500.00
52--लोहार की दुकान पर	25.00	50.00
म(1) लोहार की दुकान पर जिसमरम्मत घेंसर आदि दकंशाप	200.00	250.00
53--चूड़ी की दुकान पर	25.00	50.00
54--टेलीविजन, रेडियो, लाउडस्पीकर की दुकान पर	100.00	150.00
55--यंत्र चालित क्रेन क्रेसर	1,000.00	5,000.00
✓ (1) खड़ा कोल्हू, गुड़बेल	250.00	400.00
56--पशुओं द्वारा क्रेन कोल्हू जिसमें 5 कोल्हू तक हो	150.00	निस्कासित
57--बैलगाड़ी इनलप गाड़ी बनाने की दुकान पर	100.00	150.00
58--बिजली के सामान की दुकान पर	100.00	150.00
59--कर्य व्यवसाय की दुकान जिसमें एक हजार रुपये से कम का सामान हो	50.00	5,00,000.00 से अधिक की लागत के व्यवसाय पर

व्यवसाय	याकू शुल्क ₹०	प्रस्तावित शुल्क ₹०
	3,00,000.00 से 5,00,000.00 की लागत पर	5,000.00
	1 लाख से 3 लाख की लागत	2,000.00
	50 हजार से 1 लाख की लागत	1,000.00
	25 हजार से 50 हजार लागत	400.00
	10 हजार से 25 हजार लागत	200.00
	5 हजार से 10 हजार लागत	100.00
	अन्य पर	50.00
60--	टेन्ट या लाईट हाउस की दुकान पर	500.00
61--	तम्बाकू/किमाम उद्योग पर	500.00
62--	मैथा प्लान्ट प्रति टंकी पर	500.00
63--	कबाड़ की दुकान	100.00
64--	घसं कांटा पर	500.00
65--	प्लास्टिक सामान की दुकान फर्नीचर आदि पर	200.00
66--	चार पहिया वाहन ट्रैक, ट्रैक्टर, जीप आदि के मरम्मत की दुकान पर	100.00
68--	गैस गोदाम पर	5,000.00
69--	गैस सिलिंडर को विक्री, मरम्मत एवं गैस मराई आदि की दुकान पर	200.00
70--	खराद मशीनों पर	200.00
71--	(1) एजेंसी चार पहिया वाहन (2) दो पहिया वाहन	1,000.00 500.00
72--	कमीशन एजेंट/अडिटरिया	1,000.00
73--	सहकारी उपभोक्ता मण्डल	500.00
74--	सल्फर प्लान्ट	2,000.00

राकेश कुमार मित्तल,
अध्यक्ष,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।